उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद सं0 31/2021–22

गयामुनी मंडल.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

राज किशोर यादव.....उत्तरकारी

आदेश

11.01.2022

यह रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–133/2020–21 में पारित आदेश दिनांक–16.08.2021 के विरूद्ध में दायर किया गया है जिसमें अपीलकर्त्ता के दावों को अस्वीकृत करते हुए उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

1. मौजा बाघमारी एक प्रधानी मौजा है। मौजा के गेंजर सर्वे सेटेलमेंट में मकुली मंडल प्रधान थे। इसके पश्चात् उनके पुत्र चेतरू मंडल भी प्रधान का कार्य किया है।
2. 16 आना रैयतों को अपीलकर्त्ता के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं है।
3. उत्तरकारी के विरूद्ध अपराधिक मामला सरैयाहाट थाना केस नं0–114/2020 में धारा, 427, 147, 148, 323, 448, 504, 506 I.P.C के अन्तर्गत मामला दर्ज है जो न्यायिक दण्डाधिकारी, दुमका में लंबित है।
4. उत्तरकारी द्वारा मौजा के गोचर दाग सं0–552 में 2–3 बीघा खंडित कर जोत आबाद किया जा रहा है। नियुक्ति के पश्चात् प्रधानी जोत जमीन पर बॉध एवं डोभा का निर्माण किया गया है। परती जमीन का भी अतिक्रमण किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन टेबुल रिपोर्ट कहा गया है। इसके पश्चात् भी उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है जो न्याय संगत नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

1. मौजा का अंतिम प्रधान प्रसादी मंडल थे। जिनकी मृत्यू दिनांक–10.02.2021 को हो चुकी है।
2. उत्तरकारी पूर्व प्रधान के जेष्ठ पुत्र है।
3. उनके विरूद्ध 16 आना रैयतों को कोई आपत्ति नहीं है।
4. अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन में उन्हें प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है जो सही है।

प्रावधान

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 :–

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

Land and Tenancy Law of Santhal Parganas :-

Amanat Miyan v. Jairam Singh and others, 25 of 1664-65, dated 22.12.1964 (Bhagalpur Comm. Report) :-

Conviction for an offence does not debar any one from being appointed as pradhan.

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

1. उत्तरकारी पूर्व प्रधान के जेष्ठ पुत्र है। जेष्ठ पुत्र होने के नाते उन्हें प्रधान पद पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत दावा बनता है

2. अपीलकर्त्ता द्वारा उत्तरकारी पर गोचर, परती कदीम जमीन खंडित कर जोत अबाद करने तथा उनके विरूद्ध न्यायिक

दण्डाधिकारी, दुमका के न्यायालय में I.P.C धारा 427, 147, 148, 323, 448, 504 एवं 506 के अन्तर्गत मामला लंबित रहने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में किसी प्रकार का कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

3. अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उत्तरकारी के विरूद्ध किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया है।

4. थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र में भी नैतिक चरित्र अच्छा है, का उल्लेख है।

5. 16 आना रैयतों को निर्गत की गई नोटिश का तामिला के पश्चात् भी उनके ओर से उत्तरकारी पर किसी प्रकार का आपत्ति एवं गलत चरित्र के संबंध में आपत्ति आवेदन दाखिल नहीं किया गया है।

6. 16 आना रैयतों की ओर से उत्तरकारी के समर्थन में आवेदन दाखिल किया गया है तथा अपीलकर्त्ता पर आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा ही परती जमीन पर मकान, कुआँ एवं डोभा बनाकर तथा गौचर जमीन खंडित कर अवैध रूप से अंतिक्रमण किया गया है।

7. उत्तरकारी द्वारा भी लिखित बहस दाखिल कर उनपर लगाया गया आरोपो का खंडन किया है।

अपीलकर्त्ता द्वारा बिना सबूती कागजातों के उत्तरकारी पर आरोप लगाया गया है। जाँच प्रतिवेदन एवं चरित्र प्रमाण–पत्र में उत्तरकारी के विरूद्ध कोई आरोप उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश को नियमानुकुल मानते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

59 Dt. 14/3/22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:16:47 +05:30
Location: 169.254.227.244